न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/35/2021

मैसर्स कमल ट्रांसलिफ्टर्स प्रा0लि0 चॉदमारी कोहिमा, नागालैण्ड जरिये प्रो0 कमल कुमार देशराज डोगरा जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर विनोद कश्यप पुत्र चरनदास कश्यप निवासी ए–24 पुष्प टेनामेन्ट, मोनी होटल के पास, ईशानपुर अहमदाबाद (गुजरात)

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन ट्रक एल.पी.टी. 1615 पंजीयन संख्या एन.एल. 01/एए–9733, चैसिस नम्बर एम.ए.टी.395027 एचडीजे 09279 व इंजन नम्बर 71 जे 84411174 व मुकदमा एफ.आई.आर संख्या 324 /2021 पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर।

उपस्थित :–

1. श्री विमल सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय **दिनांक 16.11.2021**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी का वाहन ट्रक जरिये मुख्त्यारनामा मालिक व काबिज है जिसको उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। वाहन ट्रक को पुलिस थाना सेवर द्वारा प्रकरण में कतई गलत व असत्य तथ्यों के आधार पर दिनांक 03.07.2021 को जब्त कर लिया है जो पुलिस थाना सेवर भरतपुर पर खुले में खडा हुआ है। जिसके खुले में खडे रहने से खराब होने की पूर्ण सम्भावना है तथा पुलिस थाना सेवर भरतपुर को वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि प्रार्थी को अपने जीवनयापन के लिए उक्त वाहन की आवश्यकता है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रार्थी किशनपुर अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है जो कि कमल ट्रांसलिफटर प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में गाडियों की सर्विस प्रोवाइड करता है। कम्पनी की गाडियों पर ड्राईवर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी ने बतौर गारन्टी एवं कम्पनी को ड्राईवर उपलब्ध कराने के लिए मकसूद पुत्र अकबर जाति मेव निवासी 95 गोल्डन विला एन. एच.08 नजदीक गोल्डन हट होटल रेवाडी हरियाणा हाल निवासी ग्राम आलमपुर सेक्टर न. 02 यूआईटी नीयर बस स्टैण्ड भिवाडी जिला भिवाडी राजस्थान हाल निवासी थलचाना जुरहरा पहाडी कामां भरतपुर को नियुक्त किया हुआ है। कम्पनी की गाडी न.0 एन.एल. 01 एए 9733 पर चालक इरफान पुत्र मोहम्मद खान निवासी माण्डीखेडा थाना नगीना जिला नूँह मेवात को नियुक्त किया हुआ है। दिनांक 22.03.2021 को इरफान कम्पनी गाडी नं0 एन.एल 01 एए 9733 को टपूकडा यार्ड से भरकर गुजरात भावनगर गया जहां से माडिया कर्नाटक गया था। कर्नाटक खाली करके वहां से होन्डा की कम्पनी कुल्हार से भरकर वापस बस्ती यूपी आया था उसके बाद इरफान को गाडी भिवाडी यार्ड में खडी करनी थी परन्तु वह गाडी को यार्ड में न लेकर कम्पनी की अनुमति के बिना जानकारी अपने घर ले गया और वहां ले जाकर गाडी का जी.पी.एस. बन्द कर दिया ताकि गाडी कन्ट्रेनर की लोकेशन मालिक को पता नहीं चल सके तथा कम्पनी की बिना अनुमति के छल पूर्वक उक्त वाहन को लॉक डाउन के दौरान अपने निजी उपयोग में लेने लगा था। प्रार्थी के वाहन में गौवंश ले जाया जा रहा था या नहीं ये ट्राइल का विषय है। प्रार्थी अपने वाहन को सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन ट्रक एल.पी.टी. 1615 पंजीयन संख्या एन.एल. 01/एए–9733 को सुपुर्दगी दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सेवर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 11.11.2021 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी ने अवगत कराया कि वह गुजरात का निवासी है तथा ट्रांसलिफ्टर्स प्रा0लि0 चॉदमारी कोहिमा, नागालैण्ड कम्पनी को सर्विस प्रोवाईडर के रूप में कार्यरत है तथा ड्राईवर थलचाना जुरहरा पहाडी का होने के कारण वह ट्रक को अपने घर बिना कम्पनी की अनुमति के ले गया और गाडी का जी.पी.एस बन्द कर दिया तथा अपने निजी कार्य में लेने लगा। उक्त वाहन में गोवंश ले जाया जा रहा था, इस बात का कम्पनी को नहीं था। ट्रक थाना सेवर में खुले में खडा हुआ है जहां उसके खराब होने का पूर्ण अंदेशा तथा जिसकी अब प्रकरण में भी पुलिस थाना

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

सेवर को भी आवश्यकता नही होना अवगत कराया गया है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क दिया है कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है जो कि क्षमा के योग्य नही है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सेवर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट है मौके पर जब्त वाहन ट्रक एल.पी.टी. 1615 पंजीयन संख्या एन.एल. 01/एए–9733 में 30 गौवंश नर व मादा दोनों ही पाये गये। उक्त वाहन में उक्त गोवंश को क्रूरतापूर्वक एवं बेरहमी से भरा होने के कारण मृत पाये गये। जो कि अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व अनैतिक रूप से गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त वाहन ट्रक एल.पी. टी. 1615 पंजीयन संख्या एन.एल. 01/एए–9733 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् ट्रक एल.पी.टी. 1615 पंजीयन संख्या एन.एल. 01/एए–9733 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी सेवर (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021को सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, भरतपुर